प्रेस नोट दिनांक-27.12.2025

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म, पॉक्सो व आईटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को थाना मान्धाता पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक सुधीर कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, अन्तर्गत धारा 79, 352, 351(3), 64(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट व 66E, 67 आईटी एक्ट थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त रोहित पाठक पुत्र श्याम शंकर पाठक निवासी महोखरी, थाना-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ को एक अदद मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रोहित पाठक पुत्र श्याम शंकर पाठक निवासी महोखरी, थाना-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण- निरीक्षक सुधीर कुमार मय हमराह थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

थाना कन्धई पुलिस द्वारा छिनैती की घटना से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार,

अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचा, 02 कारतूस व छिनैती की एंड्रायड मोबाइल, नगद 810 रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद-

थाना कंधई पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों, अंश प्रताप सिंह उर्फ शिवांश व शनि सिंह को थाना क्षेत्रान्तर्गत नरसिंहपुर मोड़ से बिजहरा नेवादा जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.11.2025 को थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत मनैतापुर प्राथमिक विद्यालय के पास से मोटर साइकिल सवार 01 महिला से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पर्स (मोबाइल सहित) छीनकर भागने के संबंध में थाना कन्धई पर मु0अ0सं0 281/25 धारा 304 बीएनएस बनाम नाम 02 व्यक्ति अज्ञात मोटर साइकिल सवार का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कन्धई श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह उ0नि0 पवन कुमार यादव, उ0नि0 अमित सिंह, मु0आ0 राजकुमार कुशवाहा, आ0 अभिनव, आ0 सौरभ बघेल द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत नौहर पुल के पास से मु0अ0सं0 281/25 धारा 304 बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों 1.अंश प्रताप सिंह उर्फ शिवांश पुत्र सतीश सिंह निवासी ग्राम जगदीशगढ थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष, 2.शनि सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम नेवादा थाना कंधई प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत नरसिंहपुर मोड़ से बिजहरा नेवादा जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से 02 तमंचा, 02 कारतूस व छिनैती की एंड्रायड मोबाइल, नगद 810 रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचा, 02 कारतूस बरामदगी के संबंध में थाना कंधई में मु0अ0सं0-307/2025 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि वे छिनैती की घटनाएँ करते हैं तथा पकड़े जाने की स्थिति में तमंचे से फायर कर मौके से फरार हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि वे आपस में रिश्तेदार हैं और अक्सर साथ रहते हैं। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि दिनांक 22.11.2025 को रात्रि लगभग 10:45 बजे बेल्हा देवी मंदिर से लौटते समय रखहा बाजार क्षेत्र में मनैतापुर प्राथमिक विद्यालय के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार महिला के हाथ से पर्स झपट्टा मारकर छिनैती की घटना कारित की गई। लूटे गए पर्स में एक वीवो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल फोन, ₹4,000 नकद एवं एक आधार कार्ड था, जिसमें से नकद राशि आपस में बाँटकर खर्च कर दी गई। खाली पर्स, आधार कार्ड एवं सिम कार्ड को बाबा बेलखरनाथ पुलिया से नदी में फेंक दिया गया तथा मोबाइल फोन अभियुक्त शनि सिंह द्वारा अपने पास रखा गया। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि आज पुनः धन की आवश्यकता होने के कारण वे नई घटना की तलाश में निकले थे, इसी दौरान पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अंश प्रताप सिंह उर्फ शिवांश पुत्र सतीश सिंह निवासी ग्राम जगदीशगढ थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।
2. शनि सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम नेवादा थाना कंधई प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी- 02 तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस 315 बोर व छिनैती की वीवो एंड्रायड मोबाइल, नगद 810 रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह उ0नि0 पवन कुमार यादव, उ0नि0 अमित सिंह, मु0आ0 राजकुमार कुशवाहा, आ0 अभिनव, आ0 सौरभ बघेल थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा आपसी विवाद में आमदा फौजदारी होने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम पूरे बीरबल ढकवा में आपसी विवाद के चलते आमदा फौजदारी कर रहे 03 व्यक्तियों को शांतिभंग की आशंका में हिरासत में लिया गया।

दिनांक 27.12.2025 को उ0नि0 शहशाह खान मय हमराह का0 सुरजीत कुमार द्वारा क्षेत्र में भ्रमण, बैंक चेकिंग एवं रोकथाम जुर्म-जरायम के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पूरे बीरबल ढकवा में मुकदमा दर्ज कराने की बात को लेकर आमदा फौजदारी हो रहे हैं।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर स्थिति नियंत्रित की गई। उक्त व्यक्तियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 170/126/135 बी.एन.एस.एस. में हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण-
1- सन्तोष सरोज पुत्र देवतादीन सरोज उम्र 40 वर्ष निवासी लीलापुर जनपद प्रतापगढ़
2- मोबान खान पुत्र गुलफान खान उम्र 45 वर्ष
3- इकराम उर्फ इस्तियाक पुत्र इन्तजारखान उम्र 45 वर्ष
निवासीगण पूरे बीरबल ढकवा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 शहशाह खान मय हमराह का0 सुरजीत कुमार थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के क्रम में थाना मानिकपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अवैध भांग के साथ 01अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत वहद ग्राम तिवारीपुर थाना मानिकपुर से 01 किग्रा0 पिसा हुआ भांग व 500 ग्राम भांग की पत्ती के साथ 01अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर के उ0नि0 मो0 नदीम मय हमराह उ0नि0 भृगुनाथ मिश्रा, का० ध्यानचंद व हो0गा0 सुधाकर द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत वहद ग्राम तिवारीपुर से 01 अभियुक्त वीरेंद्र सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह निवासी ग्राम सहेली तिवारीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 55वर्ष को 01 किग्रा0 पिसा हुआ भांग व 500 ग्राम भांग की पत्ती के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 किग्रा0 पिसा हुआ भांग व 500 ग्राम भांग की पत्ती बरामद की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 294/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब व नशीले पदार्थ की बिक्री/परिवहन पर प्रभावी रोकथाम हेतु सतत अभियान संचालित किया जा रहा है।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा कुल 230 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त रामसूरत को किया गया गिरफ्तार-

➡अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत बेलखरी रोड बड़ा पुरवा नाला पुल के बगल मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रोहित सिंह मय का0 मनीष कुमार पाण्डेय, का0 कुशाल सिंह, का0 विपिन कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत बेलखरी रोड बड़ा पुरवा नाला पुल के बगल मंदिर के पास से 01 अभियुक्त रामसूरत पुत्र महाराजदीन निवासी ढेरहना थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से कुल 230 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तार/ बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 367/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रामसूरत पुत्र महाराजदीन निवासी ढेरहना थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष।

बरामदगी- कुल 230 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रोहित सिंह मय का0 मनीष कुमार पाण्डेय, का0 कुशाल सिंह, का0 विपिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

बयान-
जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को

नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 04 अभियुक्तो को थाना बाघराय पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार -

घटना का संक्षिप्त विवरण -
दिनांक 26.12.2025 को उ0नि0 देवी दयाल वर्मा हमराह उ0नि0 राहुल व हे0का0 सुभाषचन्द्र के साथ गश्त/जांच के दौरान दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धारुपुर, थाना बाघराय में जमीनी विवाद को लेकर अनुज शुक्ला व सूर्य प्रताप सिंह पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। सूचना पर मौके पर पहुँचने पर दोनों पक्ष एक-दूसरे से गाली-गलौज करते हुए गुत्थम-गुत्था एवं कुर्सी से मारपीट करते तथा जान से मारने की धमकी देते पाए गए। विवाद अनुज शुक्ला द्वारा लैट्रिन के पास दीवार हेतु पीलर की नींव रखने का विरोध किए जाने से उत्पन्न हुआ। उक्त प्रकरण में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 294/25 धारा 191 (2)/115(2)/352/351 (3)बीएनएस बनाम 09 व्यक्ति नामजद का पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह हे0 का0 राजेन्द्र नाथ तिवारी, उ0नि0 देवी दयाल वर्मा, उ0नि0 राहुल मय हे0 का सुभाष चन्द्र द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना पर मु0अ0सं0 294/25 धारा 191 (2)/115 (2)/352/351 (3)/109 (1)/324 (5) बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित शुदा 04 नफर अभियुक्त 1. आकाश सिंह पुत्र मनोज सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम धारुपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ, 2. शैलेन्द्र सिंह पुत्र स्व० रामेश्वर सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम धारुपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़,

3. साहिल सरोज पुत्र पुट्टे सरोज उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम धारुपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़, 4.शशांक सरोज पुत्र अर्जुन सरोज उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम धारुपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेस वे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. आकाश सिंह पुत्र मनोज सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम धारुपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
2. शैलेन्द्र सिंह पुत्र स्व० रामेश्वर सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम धारुपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
3. साहिल सरोज पुत्र पुट्टे सरोज उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम धारुपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
4.शशांक सरोज पुत्र अर्जुन सरोज उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम धारुपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों को आपराधिक इतिहास-
1-आकाश सिंह पुत्र मनोज सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम धारुपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
1.मु0अ0स0 294/2025 धारा 191(2),115(2),352,351(3),109(1),324(5) बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

2-शैलेन्द्र सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व0 रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम धारुपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
1.मु0अ0स0 166,2020 धारा 147, 149, 323, 427, 452, 504, 506 भा0द0वि0 थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
2.मु0अ0स0 294/2025 धारा 191(2),115(2),352,351(3),109(1),324(5) बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

3-साहिल सरोज उम्र 22 वर्ष पुत्र पुट्टे सरोज निवासी ग्राम धारुपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।
1.मु0अ0स0 294/2025 धारा 191(2),115(2),352,351(3),109(1),324(5) बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

4-शशांक सरोज उम्र 20 वर्ष पुत्र अर्जुन सरोज निवासी ग्राम धारुपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
1.मु0अ0स0 294/2025 धारा 191(2) ,115(2) ,352 ,351(3) ,109(1), 324(5) बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह हे0 का0 राजेन्द्र नाथ तिवारी, उ0नि0 देवी दयाल वर्मा, उ0नि0 राहुल मय हे0 का सुभाष चन्द्र थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।